



दिनांक : 17 / 10 / 2011

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशानुसार एतद्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों/प्रबन्धकों को आदेश दिया जाता है कि यदि उनके यहां के किसी छात्र/छात्रा का मूल अंकपत्र खो जाय अथवा किसी प्रकार से नष्ट हो जाय और अभ्यर्थी द्वारा उसकी दूसरी प्रति मांगी जाय तो दिये गये टेबुलेशन के अनुसार अपने स्तर से अंक पत्र की दूसरी प्रति प्रथम मूल अंकपत्र के अनुसार निर्गत करदें। यदि अंकपत्र की दूसरी मूल प्रति निर्गत करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक : प0गो0/9323/2011, उसी तिथि को
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मा० कुलपति जी
2. कुलसचिव
3. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
4. प्रभारी, संगणक केन्द्र-कृपया सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करदें।


परीक्षा नियंत्रक